संख्या 1865/चालीस-2-19(47)/83

प्रेषक,

श्री सिद्धार्थ बेहुरा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, एवम्
प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 1988

विषय:- हाई स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर की उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा/दैनिक भत्ते का भुगतान ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों तथा राजकीय निगमों के कर्मचारियों को उर्दू भाषा सीखने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा हाई स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल स्तर की उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है । इस परीक्षा में भाग लेने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को वित्त नियमावली खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम 9(6) (बी) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जाता है और उनको, नियुक्ति के स्थान से परीक्षा केन्द्र तक तथा वहाँ से तैनाती के स्थान तक वापस आने हेतु की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता तथा अधिकतम तीन दिन के लिये दैनिक भत्ता अनुमन्य होता है । यह यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता कर्मचारियों को उसी लेखा शीर्षक से दिया जाता है जिस लेखा शीर्षक से वे अपने वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त करते हैं ।

2. शासन स्तर पर यह अनुभव किया गया है कि उक्त परीक्षाओं में प्रत्याशित संख्या में अभ्यर्थी भाग नहीं लेते हैं तथा यह भी कि परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रति वर्ष घटती जा रही है । राष्ट्रीय एकीकरण का एक

......2/-

[illegible] भाषा-[illegible] भी है, तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य कर्मचारियों को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना शासन द्वारा चलाई गई है । परन्तु इस दिशा में यथोचित सफलता नहीं मिल पा रही है । अन्य कारणों में से इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कर्मचारियों को देय यात्रा एवं दैनिक भत्ते के प्राप्त होने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ता हो । यदि ऐसा है, तो यह स्थिति उचित नहीं कही जा सकती ।

3. अतः मुझसे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें ताकि अधिकारी/कर्मचारी शासन द्वारा दी जा रही सुविधा से वंचित न रह जायें और यह भी सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते के भुगतान में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न करना पड़े ।

भवदीय,

(सिद्धार्थ बेहुरा)
विशेष सचिव ।

संख्या 1965(1)/[illegible]-2-19(47)/85,

प्रतिलिपि, सचिवालय के समस्त अनुभागों को ~~आवश्यक कार्यवाही हेतु~~ प्रेषित । वे कृपया अपने अधीनस्थ विभागों तथा अपने से सम्बन्धित प्रदेश के समस्त निगमों एवं स्थानीय निकायों आदि के सम्बन्ध में भी आदेश जारी करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(श्याम लाल)
अनु सचिव ।